KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

KHAN SIR

Budget & Taxation
(बजट एवं कराधान)

History of Budget	बजट का इतिहास
• India's first budget was presented on April 7, 1860, when India was still under the British colonial rule.	• भारत का पहला बजट 7 अप्रैल, 1860 को पेश किया गया था, जब भारत अभी भी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन था।
• It was introduced by the then Finance Minister of India, James Wilson.	• इसे भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था।
• In 1924, Railway Budget and General Budget were separated according to the "ACWORTH Committee".	• 1924 में रेलवे बजट और आम बजट को "ACWORTH समिति" के अनुसार अलग कर दिया गया।

History of Budget

- The Union Budget presented for 2017-18 was path-breaking in many ways. With it, the day of the budget presentation was shifted from the end of February to the first day of February. The Railway Budget was also integrated with the Union Budget from 2017.

बजट का इतिहास

- 2017-18 के लिए प्रस्तुत केंद्रीय बजट कई मायनों में अग्रणी था। इसके साथ ही बजट पेश करने का दिन फरवरी के अंत से हटाकर फरवरी के पहले दिन कर दिया गया. 2017 से रेल बजट को भी केंद्रीय बजट के साथ एकीकृत कर दिया गया।

History of Budget	बजट का इतिहास
• The **first** Union Budget of Independent India was presented by the first Finance Minister of Independent India, Sir **R.K. Shanmugham Chetty**, on November 26, 1947.	• स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री सर आर.के. शनमुघम चेट्टी द्वारा 26 नवंबर, 1947 को प्रस्तुत किया गया था।
• **Indira Gandhi** was the **first woman** who presenting the budget.	• इंदिरा गांधी बजट पेश करने वाली पहली महिला थीं.
• **Nirmala Sitharaman** was the **first woman finance minister** who presenting the budget.	• निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री थीं.

History of Budget

- The Budget of the financial year 1973-74 is known as the "Black Budget" as the nation had a deficit of Rs550cr.
- On 1 February 2021, Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the first paperless budget.
- The Union Budget is a financial statement of government's estimated revenue and expenditure for that particular year, according to the Article 112 of the Indian Constitution.

बजट का इतिहास

- वित्तीय वर्ष 1973-74 के बजट को "ब्लैक बजट" के रूप में जाना जाता है क्योंकि देश को 550 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।
- 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहला पेपरलेस बजट पेश किया.
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, केंद्रीय बजट उस विशेष वर्ष के लिए सरकार के अनुमानित राजस्व और व्यय का वित्तीय विवरण है।

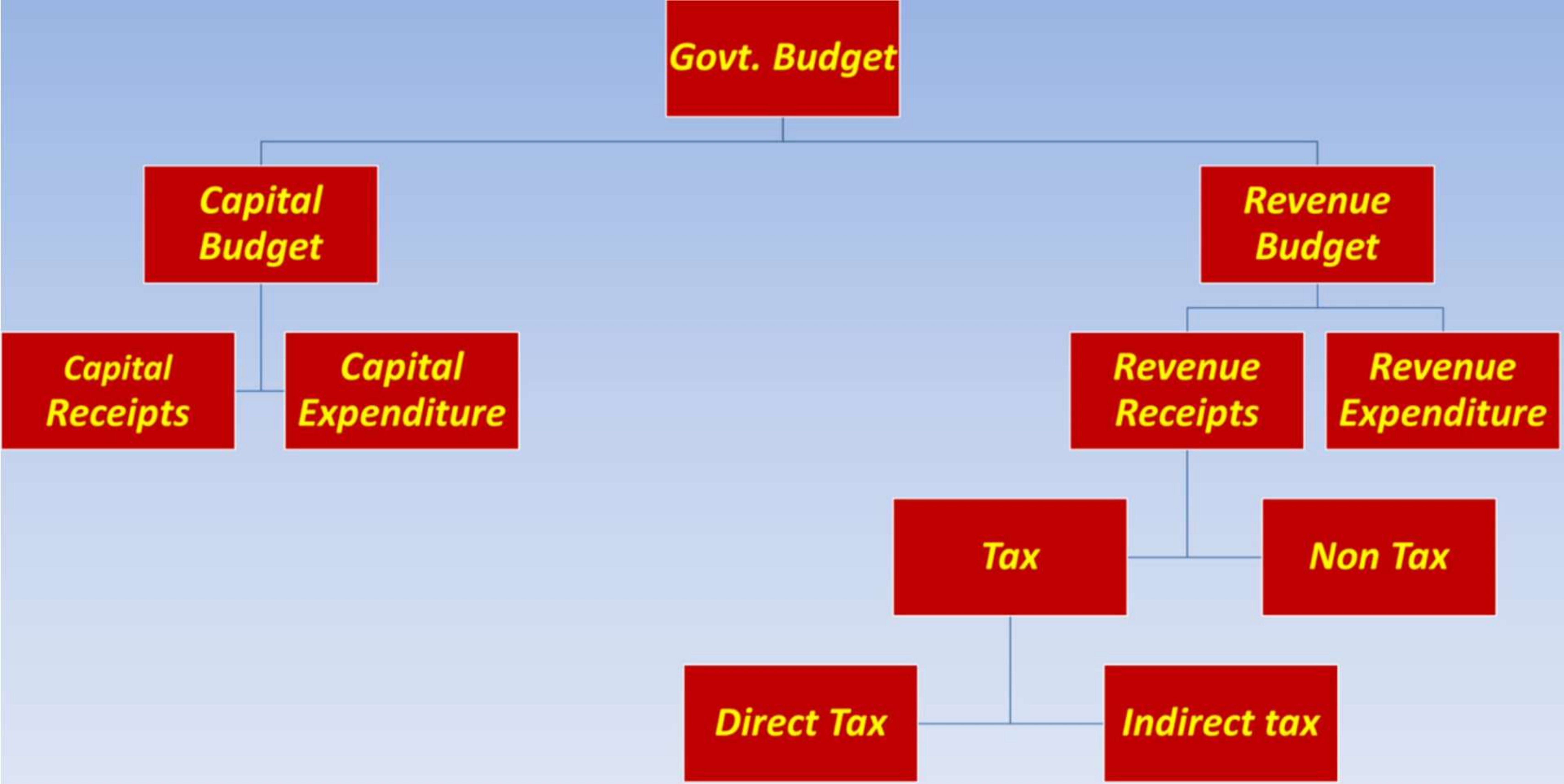
Govt. Budget
Capital Budget
Revenue Budget
Capital Receipts
Capital Expenditure
Revenue Receipts
Revenue Expenditure
Tax
Non Tax
Direct Tax
Indirect tax

Capital receipts	पूंजीगत प्राप्तियाँ
• All those receipts of the government which create liability or reduce financial assets are termed as capital receipts.	• सरकार की वे सभी प्राप्तियाँ जो देनदारी पैदा करती हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं, पूंजीगत प्राप्तियाँ कहलाती हैं।
The main items of Capital receipts (income) are :-	पूंजीगत प्राप्तियों (आय) की मुख्य मदें हैं:-
• Loans raised by the government from the public through the sale of bonds and securities. They are called market loans.	• सरकार द्वारा बांड और प्रतिभूतियों की बिक्री के माध्यम से जनता से लिया गया ऋण। इन्हें बाज़ार ऋण कहा जाता है।
• Loans and aids received from foreign countries and other international Organisations like International Monetary Fund (IMF), World Bank, etc.	• विदेशी देशों और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक आदि से प्राप्त ऋण और सहायता।

Capital receipts	पूंजीगत प्राप्तियाँ
• Receipts from small saving schemes like the National saving scheme, Provident fund, etc. • **Recoveries of loans** granted to state and union territory governments and other parties.	• राष्ट्रीय बचत योजना, भविष्य निधि आदि जैसी छोटी बचत योजनाओं से प्राप्तियाँ। • राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकारों और अन्य दलों को दिए गए ऋणों की वसूली।

Capital Expenditure	पूंजीगत व्यय
• These are those government expenditures which result in the **creation of physical or financial assets or reduction in financial liabilities.** These include:	• ये वे सरकारी व्यय हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का निर्माण होता है या वित्तीय देनदारियों में कमी आती है। इसमे शामिल है:
• expenditure on the acquisition of land, building, machinery, equipment, investment in shares	• भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश के अधिग्रहण पर व्यय
• Loans and advances by the central government to State and Union Territory governments, PSUs and other parties.	• केंद्र सरकार द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य पार्टियों को ऋण और अग्रिम।

Revenue receipts	राजस्व प्राप्तियाँ
• These are the incomes which are received by the government from all sources in its ordinary course of governance. These receipts **do not create a liability.** • Revenue receipts are further classified as **tax revenue and non-tax revenue.**	• ये वे आय हैं जो सरकार को शासन के सामान्य कामकाज में सभी स्रोतों से प्राप्त होती हैं। ये रसीदें देनदारी नहीं बनातीं. • राजस्व प्राप्तियों को आगे कर राजस्व और गैर-कर राजस्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

Revenue receipts	राजस्व प्राप्तियाँ

Tax Revenue

- Tax revenue consists of the income received from different taxes and other duties levied by the government. It is a major source of public revenue. Every citizen, by law is bound to pay them and non-payment is punishable.
- Taxes are of two types, viz., **Direct Taxes and Indirect Taxes.**

कर राजस्व

- कर राजस्व में सरकार द्वारा लगाए गए विभिन्न करों और अन्य शुल्कों से प्राप्त आय शामिल होती है। यह सार्वजनिक राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है। कानून के अनुसार प्रत्येक नागरिक उन्हें भुगतान करने के लिए बाध्य है और भुगतान न करना दंडनीय है।
- कर दो प्रकार के होते हैं, अर्थात्, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर।

Revenue receipts	राजस्व प्राप्तियाँ
Non-Tax Revenue	**गैर-कर राजस्व**
• Fees	• फीस
• Fines and penalties	• जुर्माना और दंड
• Profits from public sector enterprises	• सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से लाभ
• Gifts and grants	• उपहार और अनुदान

Revenue Expenditure	राजस्व व्यय

- These are that expenditure incurred for purposes of day to day expenses rather than the creation of physical or financial assets of the central government.

It relates to:

- Expenditure by the government on consumption of goods and services.
- Expenditure on agricultural and industrial development, scientific research, education, health and social services , subsidies.

- ये केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के बजाय रोजमर्रा के खर्चों के लिए किए गए व्यय हैं।

यह इससे संबंधित है:

- वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर सरकार द्वारा व्यय।
- कृषि और औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं, सब्सिडी पर व्यय।

Revenue Expenditure	राजस्व व्यय
• Expenditure on defence and civil administration. • Expenditure on exports and external affairs. • Payment of interest on loans taken in the previous year.	• रक्षा और नागरिक प्रशासन पर व्यय. • निर्यात और विदेशी मामलों पर व्यय। • पिछले वर्ष लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान।

Types of Budget	बजट के प्रकार
Surplus Budget : A surplus budget is a condition when incomes or receipts overreach costs or outlays (expenditures).	**अधिशेष बजट :** अधिशेष बजट वह स्थिति होती है जब आय या प्राप्तियां , लागत या परिव्यय (व्यय) से अधिक हो जाती हैं।
Balanced Budget : A balanced budget is a budget in which revenues are equal to expenditures.	**संतुलित बजट :** संतुलित बजट वह बजट होता है जिसमें राजस्व , व्यय के बराबर होता है।
Budget Deficit : A budget deficit occurs when a government's expenditures exceed its revenues over a specific period.	**बजट घाटा :** बजट घाटा तब होता है जब किसी सरकार का व्यय , एक विशिष्ट अवधि में उसके राजस्व से अधिक हो जाता है।

Different Types of Government Deficit	सरकारी घाटे के विभिन्न प्रकार
Revenue Deficit : When the government's total revenue expenditure exceeds its total revenue receipts.	**राजस्व घाटा:** जब सरकार का कुल राजस्व व्यय उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है।
Revenue deficit = Total revenue expenditure – Total revenue receipts	**राजस्व घाटा = कुल राजस्व व्यय - कुल राजस्व प्राप्तियाँ**

Different Types of Government Deficit	सरकारी घाटे के विभिन्न प्रकार
Fiscal Deficit : It is the difference between total expenditure and total receipts (excluding borrowing).	**राजकोषीय घाटा** : यह कुल व्यय और कुल प्राप्तियों (उधार को छोड़कर) के बीच का अंतर है।
Fiscal deficit = Total expenditure – Total receipts except borrowings	**राजकोषीय घाटा = कुल व्यय - उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियाँ**

Different Types of Government Deficit	सरकारी घाटे के विभिन्न प्रकार
Primary Deficit : Primary deficit is known as the difference between the current year's fiscal deficit and the interest payment on the earlier borrowings.	**प्राथमिक घाटा:** प्राथमिक घाटा चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पहले के उधार पर ब्याज भुगतान के बीच के अंतर के रूप में जाना जाता है।
Primary deficit = Fiscal deficit - Interest payment	**प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान**

Taxation in India	भारत में कराधान
• Tax is nothing but money that people have to pay to the Government, which is used to provide public services. • Taxes are of two types, viz., Direct Taxes and Indirect Taxes. **Direct taxes** are those taxes which have to be paid by the person on whom they are levied. Its **burden can not be shifted** to some one else. E.g. Income tax, property tax, corporation etc. are direct taxes.	• कर कुछ और नहीं बल्कि वह पैसा है जो लोगों को सरकार को देना होता है, जिसका उपयोग सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। • कर दो प्रकार के होते हैं, अर्थात्, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। • **प्रत्यक्ष कर** वे कर हैं जिनका भुगतान उस व्यक्ति को करना पड़ता है जिस पर वे लगाए गए हैं। इसका बोझ किसी दूसरे पर नहीं डाला जा सकता. जैसे आयकर, संपत्ति कर, निगम आदि प्रत्यक्ष कर हैं।

Taxation in India	भारत में कराधान
Indirect taxes are those taxes which are levied on commodities and services and affect the income of a person through their consumption expenditure. Here the **burden can be shifted** to some other person. E.g. Custom duties, sales tax, services tax, excise duties, etc. are indirect taxes.	**अप्रत्यक्ष कर** वे कर हैं जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं और किसी व्यक्ति की आय को उनके उपभोग व्यय के माध्यम से प्रभावित करते हैं। यहां बोझ किसी दूसरे व्यक्ति पर डाला जा सकता है. जैसे सीमा शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क आदि अप्रत्यक्ष कर हैं।

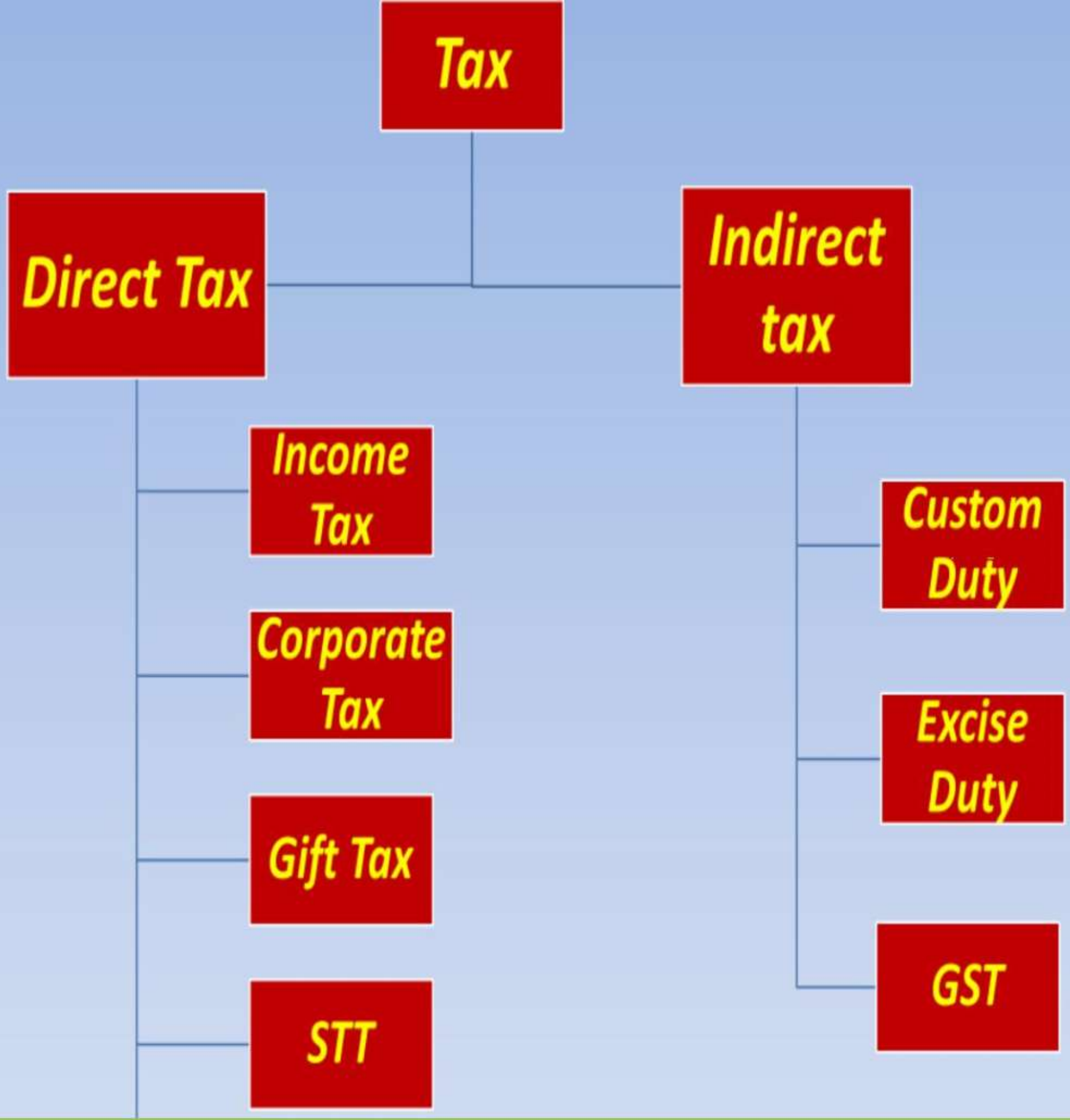
Tax
Direct Tax
Indirect tax
Income Tax
Corporate Tax
Gift Tax
STT
Custom Duty
Excise Duty
GST

Taxation in India

Income tax : It is a tax charged on the **annual income of an individual** earned in a financial year. The Income Tax system in India is governed by The **Income Tax Act, 1961.** Any individual earning more than ₹ 2.5 lakh annually in a financial year is required to pay income tax to the Government of India.

2.5 लाख/वर्ष
नहीं

भारत में कराधान

आयकर: यह एक वित्तीय वर्ष में अर्जित किसी व्यक्ति की वार्षिक आय पर लगाया जाने वाला कर है। भारत में आयकर प्रणाली आयकर अधिनियम, 1961 द्वारा शासित होती है। एक वित्तीय वर्ष में सालाना 2.5 लाख रुपये से अधिक कमाने वाले किसी भी व्यक्ति को भारत सरकार को आयकर का भुगतान करना आवश्यक है।

Taxation in India

Corporate Tax : A corporate tax is a levy placed on a firm's **profit by the government**. The money collected from corporate taxes is used for a nation's source of income.

Domestic as well as **foreign** companies are liable to pay corporate tax under the Income-tax Act.

निगम कर

लाभ (Profit)

भारत में कराधान

कॉरपोरेट टैक्स : कॉरपोरेट टैक्स सरकार द्वारा किसी फर्म के लाभ पर लगाया जाने वाला कर है। कॉर्पोरेट करों से एकत्रित धन का उपयोग देश की आय के स्रोत के लिए किया जाता है।

घरेलू और विदेशी कंपनियां आयकर अधिनियम के तहत कॉर्पोरेट टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

M.imp

→ 50,000/ से अधिक Gift

→ Gift को लेने वाला Tax देता है

Taxation in India

Gift Tax : Gift tax is a act introduced by the Parliament of India in 1958. It was introduced to impose tax on giving and receiving gifts under certain circumstances which is specified under the act. These gifts can be in any form including cash, jewellery, property, shares, vehicle, etc. Though gift tax is applicable on gifts whose value exceeds Rs.50,000, the gift is exempted from tax if it was given by a relative.

भारत में कराधान

उपहार कर : उपहार कर 1958 में भारत की संसद द्वारा पेश किया गया एक अधिनियम है। इसे कुछ परिस्थितियों में उपहार देने और प्राप्त करने पर कर लगाने के लिए पेश किया गया था जो अधिनियम के तहत निर्दिष्ट है। ये उपहार नकदी, आभूषण, संपत्ति, शेयर, वाहन आदि सहित किसी भी रूप में हो सकते हैं। हालांकि उपहार कर उन उपहारों पर लागू होता है जिनकी कीमत 50,000 रुपये से अधिक है, लेकिन अगर उपहार किसी रिश्तेदार द्वारा दिया गया हो तो उसे कर से छूट मिलती है।

Taxation in India

Security Transaction Tax (STT): It is a type of tax that is charged on the purchase and sale of securities like stocks, mutual funds, and derivatives on recognized stock exchanges in India.

भारत में कराधान

सुरक्षा लेनदेन कर (एसटीटी) : यह एक प्रकार का कर है जो भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर स्टॉक, म्यूचुअल फंड और डेरिवेटिव जैसी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री पर लगाया जाता है।

Taxation in India	भारत में कराधान
Customs Duty : It is a tax imposed on **imports and exports of goods.** The rates of customs duties are either specific or on ad valorem basis, that is, it is based on the value of goods.	**सीमा शुल्क** : सीमा शुल्क एक कर है जो वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया जाता है। सीमा शुल्क की दरें या तो विशिष्ट या यथामूल्य आधार पर होती हैं, अर्थात यह माल के मूल्य पर आधारित होती हैं।

Taxation in India

Excise duty: It is a form of indirect tax that is levied by the Central Government of India for the **production, sale, or license of certain goods**.

Excise duty charges are also collected by state governments for alcohol and narcotics.

Excise duty has been **replaced** by the Goods and Services Tax(GST) w.e.f. **1 July 2017.**

भारत में कराधान

उत्पाद शुल्क : उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर का एक रूप है जो भारत की केंद्र सरकार द्वारा कुछ वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री या लाइसेंस के लिए लगाया जाता है। शराब और नशीले पदार्थों के लिए राज्य सरकारों द्वारा उत्पाद शुल्क वसूला जाता है।

उत्पाद शुल्क को 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

Goods & Services Tax
(वस्तु एवं सेवा कर)

17 प्रकार

→ GST Bill (122वाँ संशोधित GST Bill)

→ GST Act (101वाँ GST Act)

→ 1 जुलाई, 2017 = GST लागू कर दिया।

GST Council / परिषद

- Art. No (अनुच्छेद) — 279 (A)
- अध्यक्ष = वित्त मंत्री
- कुल सदस्य = 33

1) 4
2) 5
3) 3
4) 6

→ GST की दरें :- 5%, 12%, 18%, 28%

→ कुछ वस्तुएँ और सेवाएँ ऐसी हैं, जिन्हे GST के दायरे मे लाया गया है, लेकिन वहाँ 0% GST है।

Eg :- दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं (खुली)

→ कुछ वस्तुओं और सेवाओं को GST से बाहर रखा गया गया है, लेकिन भविष्य में उन्हें GST के दायरे में लाया जा सकता है।

Eg :- पेट्रोल, डीजल, विद्युत इत्यादि

→ Art. No. 366 (12A) → GST की परिभाषा।

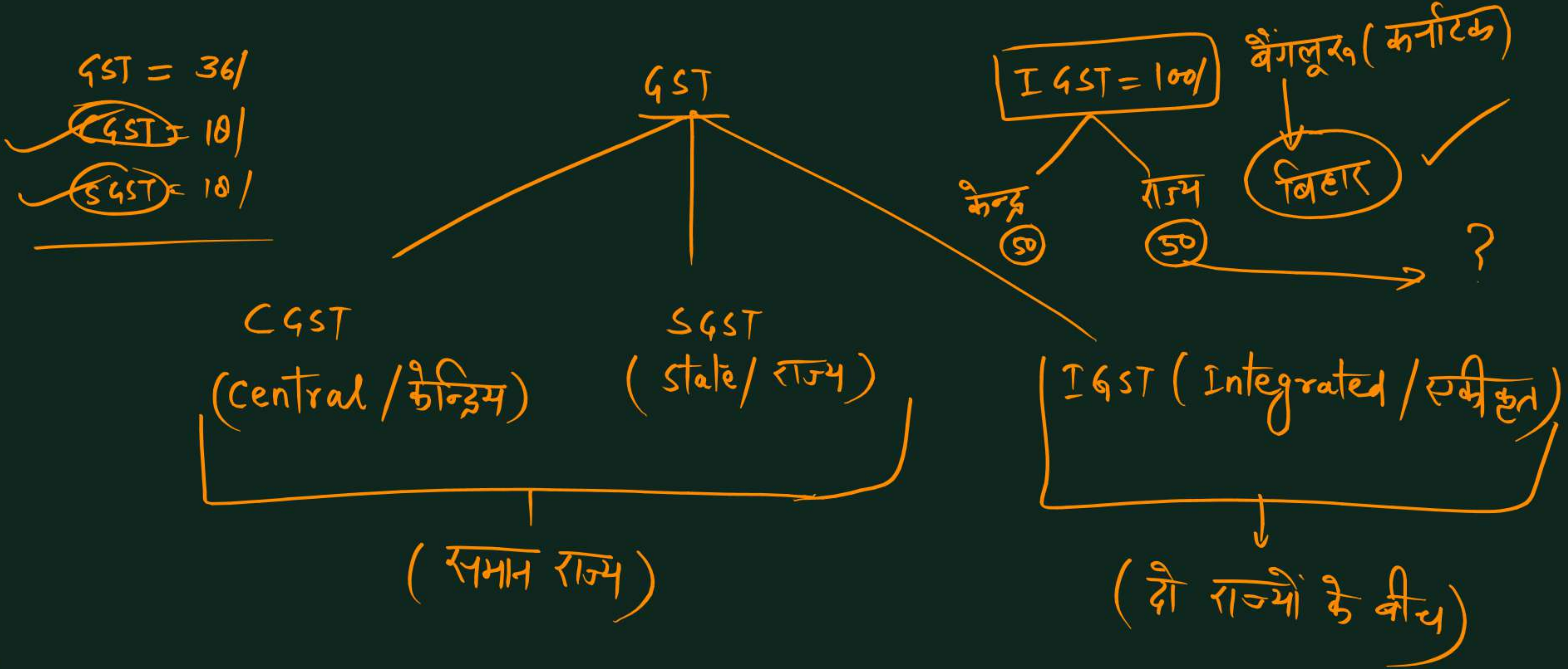
GST = 36%
CGST = 18%
SGST = 18%
GST
CGST
(Central / केन्द्रीय)
SGST
(State / राज्य)
IGST (Integrated / एकीकृत)
(समान राज्य)
(दो राज्यों के बीच)
IGST = 100%
केन्द्र
50
राज्य
50
बैंगलुरु (कर्नाटक)
बिहार
?

→ Destination Tax (गंतव्य-आधारित)

OR

Consumption Tax (उपभोग-आधारित)

→ Multi-stage

→ व्यापक कर

Goods & Services Tax	वस्तुएँ और सेवा कर
• As per new clause 12A to Article 366 "Goods & Service tax" means any tax on supply of Goods or Services or both except taxes on supply of the alcoholic liquor for human consumption.	• अनुच्छेद 366 के नए खंड 12ए के अनुसार "वस्तुएँ और सेवा कर" का अर्थ मानव उपभोग के लिए अल्कोहलिक शराब की आपूर्ति पर करों को छोड़कर वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर कोई भी कर है।

Goods & Services Tax	वस्तुएँ और सेवा कर
• It is a comprehensive, multistage, destination-based tax. comprehensive because it has subsumed almost all the indirect taxes except a few state taxes. multistage because the tax will be collected at every step of the chain from the manufacturer to the consumer.	• यह एक व्यापक, बहुस्तरीय, गंतव्य-आधारित कर है। व्यापक क्योंकि इसमें कुछ राज्य करों को छोड़कर लगभग सभी अप्रत्यक्ष करों को शामिल कर लिया गया है। मल्टीस्टेज क्योंकि कर निर्माता से उपभोक्ता तक श्रृंखला के हर चरण पर एकत्र किया जाएगा।
• The Goods and Services Tax was implemented in India on *1 July 2017* (122 amendment bill, 101st Act).	• भारत में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 (122 संशोधन विधेयक, 101वां अधिनियम) को लागू किया गया था।

Goods & Services Tax	वस्तुएँ और सेवा कर
GST Council :	**जीएसटी परिषद:**
• It is defined under **Article 279A.**	• इसे अनुच्छेद 279ए के तहत परिभाषित किया गया है।
• The **Union Finance Minister** is the **Chairperson** of this council. GST Council is the governing body of GST having **33 members.**	• केंद्रीय वित्त मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष हैं। जीएसटी परिषद जीएसटी की शासी निकाय है जिसमें 33 सदस्य हैं।
• Currently, there are **four** GST rate slabs -- 5 per cent, 12, per cent, 18 per cent and 28 per cent.	• वर्तमान में, जीएसटी दर के चार स्लैब हैं - 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत।

Goods & Services Tax

- There are some Goods & Services that comes under GST but the rate of GST is ZERO percent. Example – Basic needs of life (Unpacked), in Educational Institutions. (Govt)
- Petroleum Products such as petroleum crude, motor spirit (petrol), high speed diesel, natural gas and aviation turbine fuel etc , electricity are also kept outside the purview of GST in India.

वस्तुएँ और सेवा कर

- कुछ वस्तुएँ और सेवाएँ ऐसी हैं जो जीएसटी के अंतर्गत आती हैं लेकिन जीएसटी की दर शून्य प्रतिशत है। उदाहरण - शैक्षिक संस्थानों में जीवन की बुनियादी ज़रूरतें (अनपैक्ड)।
- पेट्रोलियम उत्पाद जैसे पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन आदि, बिजली को भी दायरे से बाहर रखा गया है।

Indirect Tax : Goods & Services Tax (GST)

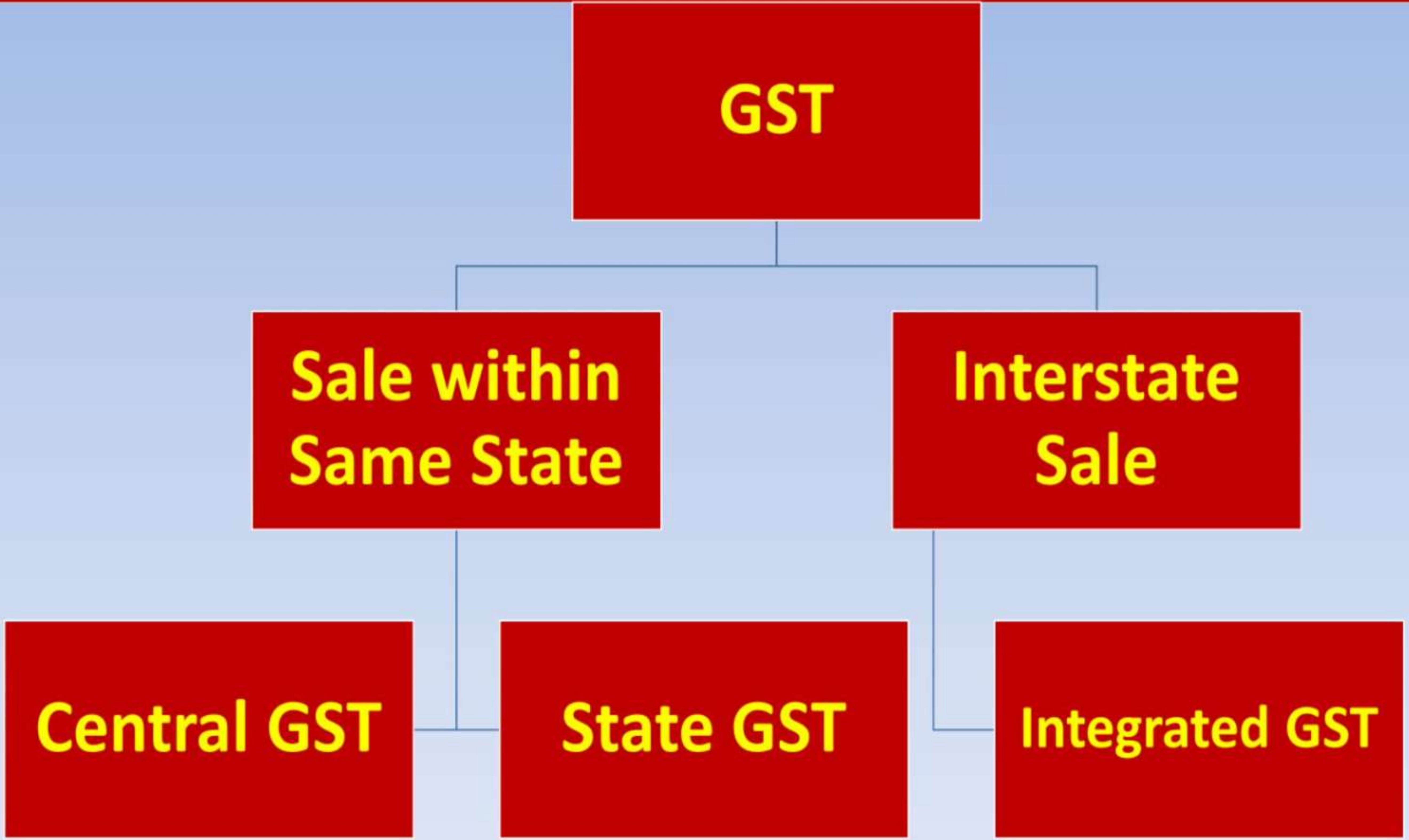

Goods & Services Tax

- GST is said to be **Destination-based or Consumption-based tax.** Hence, the place of consumption will decide the State that will collect tax.
- India has chosen the **Canadian model of dual GST.**
- **France** was the **first** country to implement GST in **1954.**
- The **first state to ratify** the constitution amendment bill which cleared the way to bring GST Act in India is **Assam** on 12 August, 2016.

वस्तुएँ और सेवा कर

- जीएसटी को गंतव्य-आधारित या उपभोग-आधारित कर कहा जाता है। इसलिए, उपभोग का स्थान वह राज्य तय करेगा जो कर एकत्र करेगा।
- भारत ने दोहरे जीएसटी का कनाडाई मॉडल चुना है।
- 1954 में जीएसटी लागू करने वाला फ्रांस पहला देश था।
- भारत में जीएसटी अधिनियम लाने का रास्ता साफ करने वाले संविधान संशोधन विधेयक को 12 अगस्त, 2016 को मंजूरी देने वाला पहला राज्य असम है।

Goods & Services Tax	वस्तुएँ और सेवा कर
• Telangana was the first state to pass the State GST Bill on 9th April, 2017.	• तेलंगाना 9 अप्रैल, 2017 को राज्य जीएसटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य था।

KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

THANKS FOR WATCHING